

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
 EXTRAORDINARY  
 भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)  
 PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
 प्राधिकार से प्रकाशित  
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1765J नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 20, 2015/श्रावण 29, 1937  
 No. 1765J NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2015

का.आ. 2266(अ).—केंद्रीय सरकार ने पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार के आदेश सं. का.आ. 1449 (अ), तारीख 2 जुलाई, 2012 द्वारा अंडमान और निकोबार नदीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का तीन वर्षों की अवधि के लिए गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि का 1 जुलाई, 2015 को अंतिम हो गया है;

और केंद्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए;

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) जिसे उसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार में पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिमूचना सं. का. आ. 1449(अ), तारीख 2 जुलाई, 2012 में उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण में पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अंडमान और निकोबार नदीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे उसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का पुनर्गठन करती है, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन) अंडमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
3.	सचिव-मह-आयुक्त (राजस्व) अंडमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
4.	सचिव (पर्यावरण) अंडमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
5.	सचिव (जहाजरानी) अंडमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य

6.	सचिव (मत्स्यपालन) अंडमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
7.	सचिव (पर्यटन) अंडमान और निकोबार प्रशासन	सदस्य
8.	प्रो. रामाचंद्रन, पूर्व कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	सदस्य
9.	निदेशक, महासमुद्र प्रबंध संस्थान, (आई ओ एम) अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	सदस्य
10.	प्रमुख, अंडमान और निकोबार पर्यावरण टीम, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
11.	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (एफ सी), तोडल अधिकारी (एफ सी)	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण को तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उममें सुधार करने तथा अंडमान और निकोबार संघ शामिल क्षेत्र के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(क) प्राधिकरण परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आवेदन प्राप्त करेगा और उसकी अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार परीक्षा करेगा और यह देखेगा कि क्या वह भारत सरकार में पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे उममें उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा जारी अधिसूचना की अपेक्षाओं का पालन करता है और ऐसे आवेदन की प्राप्ति में 60 दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा;

(ख) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन में सभी विद्यमान गतिविधियों को विनियमित करेगा;

(ग) प्राधिकरण मुख्य रूप से उक्त अधिसूचना के उपबंधों को प्रवृत्त करना और मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों का तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों, और तटीय जोन प्रबंध योजना में परिवर्तनों या उपांतरणों, बर्गीकरण के लिए परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उन पर विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा।

### 3. प्राधिकरण --

(क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों में संबंधित है, की जांच करेगा और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा, जहां तक कि ऐसे निदेश केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उक्त विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से अंगतत हो।

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों में सम्मिलित है, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक समझा गया हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करेगा।

परंतु उल्लंघनों के मामलों की ऐसी जांच या पुनर्विलोकन प्राधिकरण द्वारा स्वःप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या प्रतिनिधि विधायक या संगठन द्वारा शिकायत के आधार पर किया जाएगा।

(ग) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध उमके द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए शिकायत फाइल कर सकेगा;

(घ) प्राधिकरण, किसी भी मामले में संबंधित अपने सहाय तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित कार्यवाही करेगा।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा;

5. प्राधिकरण, धरण और अपव्यय के लिए अधिक महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा तथा ऐसी प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण का प्रबंध करेगा।

6. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण द्विपों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय प्रबंधन जोन योजनाएं तैयार करेगा।
7. प्राधिकरण, मंत्रराज्यक्षेत्र में तटीय क्षेत्रों की एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं उन अधिमूचना में अधिस्थित प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्राधिकरण और केंद्रीय सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करे।
8. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मामलों, जो उसके अंडमान और निकोबार प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, का निपटारा करेगा।
9. तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह समर्पित बैचमास्ट का सृजन करे और ऐसी बैचमास्ट पर कार्यसूची, कार्यवृत्त, दिग् गण विनिश्चय, सिफारिश पत्र, उल्लेखन-कार्य, पत्र उल्लेखनों पर की गई कार्रवाई और न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मामले के आदेश सम्बन्धित हैं तथा अंडमान और निकोबार मंत्र राज्यक्षेत्र की अनुसूचित तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं भी हैं।
10. प्राधिकरण राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को कम से कम छह मास में एक बार अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देगा।
11. प्राधिकरण का किमी राष्ट्रीय बैंक में मंत्र राज्यक्षेत्र प्रशासन, या निधिकरण अधिकरणों या परियोजना प्राधिकरणों उल्यादि में निधियों या अंतराओं को प्राप्त करने के लिए उसका बैंक खाता होगा।
12. अंडमान और निकोबार प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण को उसके कृत्यों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन, मानव शक्ति और निधियां, जो उक्त अधिनियम की उक्त अधिमूचना में अभिकल्पित हैं, उपलब्ध हैं।
13. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति उनके सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।
14. पदेन सदस्य से अत्यथा किमी सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित मानदंडों के अनुसार भले संवत्त किए जाएंगे।
15. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा।
16. प्राधिकरण की पूर्वभागी शक्तियां और कृत्य केंद्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे।
17. कोई मामला जो इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर नहीं आता है, उसका निपटारा संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए-III]

विश्वनाथ गिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### ORDER

New Delhi, the 20th August, 2015

**S.O. 2266(E).**—Whereas, by an Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1449(E), dated 2nd July, 2012, the Central Government constituted the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority for a period of three years and the term of the said Authority has since expired on 1st July, 2015:

And, whereas, the Central Government is of the view (that the such Authority must be reconstituted:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1499(E), dated the 2<sup>nd</sup> July 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, The Central Government hereby reconstitutes the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

(1)	Chief Secretary Andaman and Nicobar Administration	Chairman
(2)	Principal Secretary (Environment and Forests), Andaman and Nicobar Administration	Member
(3)	Secretary cum-Commissioner (Revenue) Andaman and Nicobar Administration	Member
(4)	Secretary (Environment) Andaman and Nicobar Administration	Member
(5)	Secretary (Shipping) Andaman and Nicobar Administration	Member
(6)	Secretary (Fisheries) Andaman and Nicobar Administration	Member
(7)	Secretary (Tourism) Andaman and Nicobar Administration	Member
(8)	Prof. Ramachandran, Former Vice Chancellor Anna University, Chennai	Member
(9)	Director, Institute of Ocean Management (IOM) Anna University, Chennai	Member
(10)	Head, Andaman and Nicobar Environment Team Port Blair	Member
(11)	Additional Principal Chief Conservator of Forests (P.C), Nodal Officer (P.C)	Member Secretary

2. The Authority, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union Territory of Andaman and Nicobar, shall take the following measures, namely:-

- the Authority shall receive application for approval of project proposal and examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and complies with the requirement of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority as specified in the said notification, within a period of sixty days from date of receipt of such application;
- the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;
- the Authority shall primarily be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;
- the Authority shall examine the proposals received from the Union Territory Administration for changes or modifications, in the classification of Coastal Regulation Zone areas, and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority.

3. the Authority shall-

- inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made there under or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, in any specific case, issue such direction under section 5 of the said Act as are not inconsistent with the directions issued in that specific case either by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
- hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if considered necessary, refer such cases, along with its comments for review by the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that such inquiry or review of cases of violations may be taken up by the Authority suo moto, or on the basis of a complaint made by an individual or representative body or organisation;

- the Authority may file complaints, under section 19 of the said Act, against any person for non compliance of directions issued by it;
- the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act to verify the facts before it relating to any case.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange funds for implementation of such management plans.

6. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
7. The Authority shall prepare and submit Integrated Coastal Zone Management Plans of coastal areas in the Union Territory as per the procedures laid down in said notification to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
8. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Andaman and Nicobar Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
9. To maintain transparency in the working of the Authority, it shall be the responsibility of the Authority to create a dedicated website and post on such website the agenda, minutes, decisions taken, recommendation letters, acts of violations and actions taken on such violations, court matters including the orders of the courts and National Green Tribunal as also the approved Coastal Zone Management Plans of the Union Territory of Andaman and Nicobar.
10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
11. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to receive the funds or grants from the Union Territory Administration, funding agencies or project authorities, etc.
12. The Andaman and Nicobar Administration shall ensure that sufficient resources, manpower and funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as envisaged in the said notification and in the said Act.
13. The quorum of the meeting of the authority shall be one third of the total number of its members.
14. A member, other than an ex officio member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.
15. The Authority shall have its headquarters at Port Blair.
16. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
17. Any matter specifically not falling within scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No.12-5/2005-IA-III]

BHISWANATH SINHA, Jt. Secy.